भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
डेरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल – 462024
दूरभाषः 0755 2478250 –53 फेक्स नंः 2450896

//स्क्रेप विक्रय हेतु द्वितीय ई–निविदा सूचना //

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल द्वारा वर्ष भर अर्थात 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2020 तक के लिये अनुपयोगी स्क्रेप '' जहॉ है जैसी है'' के आधार पर विक्रय करने हेतु ई–निविदाये आमंत्रित की जाती है। किसी भी निविदा (निविदाओं) को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। ई–निविदा की संपूर्ण कार्यवाही www.mptenders.gov.in पर संपादित की जावेगी। निविदा संबंधी शर्ते एवं अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी. एफ. की वेबसाईट www.mpcdf.nic.in उपलब्ध हैं।

कार्य	निविदा प्रपत्र की राशि रू0	निविदा ऑनलाईन जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	निविदा खोलने की अंतिम दिनांक एवं समय
टूटी प्लास्टिक क्रेट, टूटे प्लास्टिक जार, प्लास्टिक ड्रम, लोहे के ड्रम, लोहा स्टील, मिल्क केन (एल्यू/स्टील) कॉपर स्क्रेप, टायर ट्यूब, एवं टैंकर सील आदि	500/–	01.08.2019 2.30 बजे	02.08.2019 3.30 बजे

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
डेरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल – 462024
दूरभाषः 0755 2478250 –53 फेक्स नंः 2450896

निविदा प्रपत्र

1 निविदा संदर्भ	:	भोसदुसं / कय / 2019 / 19
2 अनुसूची प्रथम	:	कार्य का विवरण एंव सामान्य शर्तें
3 अनुसूची द्वितीय	:	अनुपयोगी वस्तुओं का विवरण एंव प्रत्येक हेतु निर्धारित धरोहर राशि
4 निविदा फार्म	:	दरें ऑनलाईन भरना होगा
5 निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम दिनांक एंव समय	:	**दिनॉक 01.08.2019 अपरान्ह 2.30 बजे तक**
6 निविदा दस्तावेज खोलने की दिनांक एंव समय	:	**दिनॉक 02.08.2019 अपरान्ह् 3.30 बजे**
7 निविदा दस्तावेज खोलने का स्थान	:	कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल।
8 सूचना एवं पत्राचार हेतु पता	:	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेरी प्लांट हबीबगंज,भोपाल–462024.
9 निविदा प्रपत्र का कय मूल्य	:	रु. 500 / –(पॉच सौ रूपये मात्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

अनुसूची प्रथम

कार्य का विवरण, परिस्थितियॉ एंव सामान्य शर्ते –

1. भोपाल सहकारी दुग्ध संध मर्यादित, भोपाल में पालिथीन स्क्रेप मटेरियल' **"जहॉ एवं जिस स्थिति में है"** के विक्रय हेतु 1 वर्ष की अवधि के लिये दरें आमंत्रित करता हैं। निविदा के सामान्य शर्ते अनुसूची प्रथम एंव स्क्रेप मटेरीयल के विस्तृत विवरण मय वॉछित धरोहर राशि अनुसूची द्वितीय में दर्शाया गया हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल को प्राप्त किसी एक या सम्पूर्ण निविदायें निरस्त करने का अधिकार हैं, जिसके लिये उन्हें कारण बताने की आवश्यकता नहीं हैं।

2 **निविदा प्रस्तुति :**

(अ) निविदाकर्ताओं को स्पस्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि निविदाओं मे पता, दूरभाष, ई–मेल आदि में कोई परिवर्तन होता है तो समय पर ही दुग्ध संघ भोपाल कार्यालय को सूचित करें ताकि पत्राचार परिवर्तित पते पर किया जा सके।

3 **धरोहर राशि :**

(अ) सभी निविदाकर्ताओं को यह अनिवार्य है कि समूह अनुसार वॉछित धरोहर राशि ऑनलाईन जमा करना होगा। अन्य किसी प्रकार से प्रेषित धरोहर राशि को स्वीकृत नहीं किया जायेगा, एवं संघ में यदि किसी भी मद में पूर्व में धरोहर राशी जमा हो तो वह भी मान्य नही होगी**। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।**

(ब) धरोहर राशि असफल निविदाकर्ताओं को निविदा अनुमोदन के 90 दिन के अन्दर वापिस की जायेंगीं। सफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि संघ द्वारा बतौर प्रतिभूति की राशि के रुप में रखा जा कर निर्धारित समय अवधि उपरान्त ही वापिस की जायेंगी।

(स) धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

4 **दरो की वैद्यता :**

(अ) निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अनुपयोगी वस्तुओं की दरें वर्ष भर स्थिर होनी चाहिये। अतः संघ द्वारा निर्धारित समय अवधि तक दरों की वैधता को ध्यान में रखकर ही दरें प्रेषित करें। दरों का अनुमोदन निविदा खुलने के 05 दिवस में सफल निविदाकारो को सूचित किया जावेगा।

(ब) आवश्यकतानुसार उच्चतम दर के निविदाकार से आपसी सहमति से निविदा दरो के संबंध मे सुलह वार्ता (Negotiation) की जा सकती हैं।

5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को अनुपयोगी वस्तुओं के विक्रय का सम्पूर्ण अधिकार हैं, किन्तु वे कोई निविदा का अंश या सम्पूर्ण निविदायें जो संघ में प्राप्त हैं, बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं। बिका हुआ निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय है तथा विक्रय उपरांत इसे न तो वापिस लिया जावेगा और न ही राशि वापिस की जावेगी।

6. निविदा में गलत पता और सही परिचयात्मक न होने के कारण निविदा स्वीकृत न हो सके तो उसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा, संघ का नहीं।

7. निविदा जमा करने के उपरान्त निविदाकर्ताओं को निविदा वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में प्रेषित दरों के लिये निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

8. अनुमोदित निविदाकर्ता को अनुपयोगी वस्तुओं की कोई भी निश्चित मात्रा अंश या बिल्कुल नहीं विक्रय करने के लिये संघ स्वतंत्र है।

9. सफल निविदाकर्ता को, संघ मे उपलब्ध अनुपयोगी वस्तु '' **जहॉ है जैसी हैं** '' स्थिति में क्रय कर उठाना होगा। उदाहरण स्वरूप जूट बैग/ कागज के बैग, पेपर के कार्टून आदि स्क्रेप गीला सूखा उठाना होगा।

10. संघ द्वारा अनुमोदित निविदाकर्ता को अनुपयोगी वस्तु उठाने हेतु दो स्मरण पत्र दिये जावेंगे जो डाक द्वारा भेजे जावेंगे। उनके उत्तर अप्राप्त होने या उस पर निविदाकर्ता द्वारा वांछित क्रय कार्यवाही न करने की स्थिति में संघ को निविदाकर्ता की धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।

11. निविदाकर्ता अनुसूची द्वितीय में दर्शाई धरोहर राशि वर्ग समूह के आधार पर प्रेषित करना अनिवार्य है।

12. यदि निविदाकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति कोई दरें प्रेषित करता है एवं यदि मुख्य कार्यपालन .अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ को नियम के विपरीत लगता है तो वह निविदा निरस्त कर सकते है।

13. निविदाकर्ता द्वारा अनुपयोगी वस्तु की जितनी मात्रा होगी उतनी ही उठानी होगी संघ की किसी भी अनुपयोगी वस्तु की मात्रा को छांटने की अनुमति निविदाकर्ता को नहीं होगी। स्क्रेप मटेरियल को एकत्रित करना लोडींग एंव परिवहन की व्यवस्था निविदाकार की होगी।

14. समस्त स्क्रेप सामग्री के संबंध में स्वीकृत दर निविदाकर्ता केा स्क्रेप विक्रय आदेश प्राप्त होने पर भंडारित स्क्रेप क्रय कर डेरी परिसर से प्रतिमाह उठाकर ले जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा दुग्ध संघ निविदाकर्ता का आदेश निरस्त कर धरोहर राशि राजसात कर सकेगा।

15. यदि कोई निविदाकर्ता इस निविदा में सम्मिलित होता है तो यह माना जावेगा कि उसे निविदा की सभी शर्तें स्वीकार हैं। निविदाकर्ता की कोई भी शर्त संघ को मान्य नहीं होगी।

16. अनुपयोगी स्क्रेप को एकत्रित करने के लिये निविदाकर्ता को स्वयं का अपना प्रतिनिधि डेयरी में भेजना होगा। असफल होने की स्थिति में संघ द्वारा स्क्रेप एकत्रित कराया जायेगा जिसका व्यय स्वयं निविदाकर्ता को वहन करना होगा।

17. **क्रय प्रणाली एवं भुगतान :**

प्रत्येक आयटम/लॉट का विक्रय संघ द्वारा निर्धारित समस्त प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जावेगा। सामग्री का निर्गमन निर्धारित धनराशि जमा करवाने के पश्चात भंडार शाखा द्वारा आवश्यक प्रपत्र मिलने के बाद ही कार्यालयीन दिवसों में सायं 4.00 बजे तक किया जायेगा। खाली गाड़ी व भरी गाड़ी तौलने हेतु संघ के नियमानुसार स्क्रेप क्रेता को शर्तें मान्य करना अनिवार्य है अर्थात खाली गाड़ी पहले संघ के तौल कांटे पर तौल की जावेगी इसके बाद भरी गाड़ी का वजन संघ के तौल कांटे पर किया जावेगा, जिसे निविदाकर्ता को मान्य करना होगा।

18.. स्क्रेप पर शासकीय नियमानुसार विक्रय कर एवं अन्य जैसे टीसीएस निविदाकर्ता द्वारा वहन करना होगा। निविदाकर्ता को निविदा के साथ फर्म का या मालिक होने का प्रमाण पत्र सहित पेन कार्ड का नं0 एवं GST registration की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

19. उपयोगी सामग्री को संघ किसी भी समय अलग निकालने को स्वतंत्र रहेगा एवं अनुमोदित निविदाकर्ता को अनुपयुक्त या क्षतिग्रस्त सामग्री की मात्रा को स्वीकार कर क्रय करना होगा।

20. संघ के कर्मचारी /अधिकारी को स्वयं के वास्ते जो सामान की यदि आवश्यकता होगी उसे स्वीकृत दर पर विक्रय किया जा सकेगा, इसमें अनुमोदित निविदाकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होंगी।

21. यदि आवश्यक होने पर किसी भी स्क्रेप सामग्री की अनुमोदित दर को अनुमोदित निविदाकार के पक्ष में निर्धारित समय सीमा से 6 माह तक बढाने का अधिकार संघ को होगा। जो कि निविदाकर्ता पर बंधनकारी होगा।

22. यह स्पष्ट रूप से समझा जाये कि अनुमोदित निविदाकर्ता द्वारा संघ के आदेश का पालन न करने पर अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल का होगा जो संबंधित निविदाकर्ताओं पर बन्धनकारी होगा।

23 विवादास्पद स्थिति में अंतिम निर्णय :

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद का निदान माध्यस्थम् सुलह अधिनियम 1996 (Arbitration and Conciliation Act. 1996) के अंतर्गत किया जावेगा जिसके अंतर्गत अध्यक्ष, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल अथवाा उनके द्वारा नामित व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में विवाद का निराकरण करेंगे जो दोनों पक्षकारों पर बंधनकारी होगें।

24 सभी प्रकार के न्यायालयीन विवादों का स्थान भोपाल शहर मे होगा।

25. निविदाकार को Technical bid के साथ पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आपके पक्ष मे प्रदायित Recycler का लायसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा, लायसेंस न होने की स्थिति मे निविदा अमान्य की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

: अनुसूची द्वितीय :

अनुपयोगी वस्तुओं की सूची एवं निर्धारित धरोहर राशि का विवरण

क्रमांक	अनुपयोगी वस्तु का नाम	अमानत राशि रूपये
वर्ग समूह 1	प्लास्टिक पॉउच क्रेट	50,000/–
वर्ग समूह 2	प्लास्टिक (एचडीपीई) की सामग्री	
	आयोडीन, नाइट्रिक एसिड आदि के 50 किलो क्षमता के अनुपयोगी जार (अनुमानित मात्रा लगभग 400 नग)	3000/–
वर्ग समूह 3	वाहनो के विभिन्न प्रकार के टायर/ट्यूब आदि	10000/–
	1000.20 टायर ट्यूब फ्लेप सहित मात्रा 40 नग	
	8.25 टायर ट्यूब फ्लेप सहित मात्रा 44 नग	
	215/75/R 15 ट्यूब लेस मात्रा 30 नग	
	235/75 R ट्यूब सहित मात्रा 25 नग	
	825.20 टायर ट्यूब फ्लेप सहित मात्रा 20 नग	
	7.50.16 टायर ट्यूब फ्लेप सहित मात्रा 25 नग	
वर्ग समूह 4	ऑयल के खाली ड्रम 200 लीटर (100 नग)	1000/–
वर्ग समूह 5	1. प्लास्टिक ड्रम 200 लीटर (200 नग)	5000/–
	2. लोहे के ड्रम (20 नग)	2000/–
	3. लोहा स्क्रेप	3000/–
	4. स्टील स्क्रेप	3000/–
	5. कॉपर स्क्रेप	3000/–
वर्ग समूह 6	मिल्क केन (एल्युमीनियम) 284 नग	2500/–
	मिल्क केन (स्टील) 50 नग	1000/–
वर्ग समूह 7	कटी टैंकर सील (अनुपयोगी) लगाभग मात्रा 2000 किलो	1000/–
वर्ग समूह 8	जूट बैंग (शक्कर) खाली 1400 नग	500/–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

: निविदा फार्म :

(Form A)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

भोपाल सहकारी दुग्ध संध मर्यादित,

हबीबगंज भोपाल.

सेवा में,

आपके **निविदा संदर्भः भोसदुसं/क्रय/2019/19 डयूऑन 02.08.2019** के संदर्भ में निविदा में दी गई सभी शर्ते हमारे द्वारा पढ़ ली गई हैं तथा हमें स्वीकार हैं।

ऑनलाईन EMD Transaction acknowledgement क्रं...........................दिनॉक..................

राशि रु0.............................(धरोहर राशि की सत्यप्रति संलग्न है)

स्क्रेप टेंडर की निविदा की समस्त शर्ते व भोपाल दुग्ध संघ द्वारा जारी निर्देश मुझे मान्य व स्वीकार्य हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

नाम ....

पता ....

....

फोन न0...

पेन न0...

GST न0...

—0—0—0—0—

: निविदा फार्म :

(दर ऑनलाईन प्रपत्र)

NIT Ref. no.			
निविदाकार का नाम			
क्रमांक	अनुपयोगी वस्तु का नाम	दरे ऑनलाईन भरना होगा।	GST अतिरिक्त
वर्ग समूह 1	प्लास्टिक पॉउच क्रेट	प्रति किलो	
वर्ग समूह 2	प्लास्टिक (एचडीपीई) की सामग्री		
	आयोडीन, नाइट्रिक एसिड आदि के 50 किलो क्षमता के अनुपयोगी जार (अनुमानित मात्रा लगभग 400 नग)	प्रति नग	
वर्ग समूह 3	वाहनो के विभिन्न प्रकार के टायर/ट्यूब आदि	प्रति नग	
	1000.20 टायर ट्यूब फ्लेप सहित मात्रा 40 नग	प्रति नग	
	8.25 टायर ट्यूब फ्लेप सहित मात्रा 44 नग	प्रति नग	
	215/75/R 15 ट्यूब लेस मात्रा 30 नग	प्रति नग	
	235/75 R ट्यूब सहित मात्रा 25 नग	प्रति नग	
	825.20 टायर ट्यूब फ्लेप सहित मात्रा 20 नग	प्रति नग	
	7.50.16 टायर ट्यूब फ्लेप सहित मात्रा 25 नग	प्रति नग	
वर्ग समूह 4	ऑयल के खाली ड्रम 200 लीटर (100 नग)	प्रति नग	
वर्ग समूह 5	1. प्लास्टिक ड्रम 200 लीटर (200 नग)	प्रति नग	
	2. लोहे के ड्रम (20 नग)	प्रति नग	
	3. लोहा स्क्रेप	प्रति किलो	
	4. स्टील स्क्रेप	प्रति किलो	
	5. कॉपर स्क्रेप	प्रति किलो	
वर्ग समूह 6	मिल्क केन (एल्युमीनियम) 284 नग	प्रति नग	
	मिल्क केन (स्टील) 50 नग	प्रति नग	
वर्ग समूह 7	कटी टैंकर सील (अनुपयोगी) लगाभग मात्रा 2000 किलो	प्रति किलो	
वर्ग समूह 8	जूट बैंग (शक्कर) खाली 1400 नग	प्रति नग	

नोट : **दरों में GST/ विक्रय कर टीसीएस सम्मिलित नहीं है, जो कि** प्रचलित दरों के आधार पर अतिरिक्त देय होगा।

: **यह प्रपत्र केवल सांकेतिक हैं। निविदा सामाग्री की दरें केवल आन–लाईन ही भरी जानी हैं।**

—0—0—0—0—